न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सीकर
पीठासीन अधिकारीः— जयप्रकाश, आर.ए.एस.

पत्रावली संख्याः— 08/2009/रेफरेन्स

मूर्ति मन्दिर नृसिंहजी, बुटोली जरिये पुजारी बनवारीदास चेला जयरामदास ग्राम बुटोली तहसील व जिला सीकर

प्रार्थी

बनाम

1 कुरड़ाराम पुत्र घीसा जाति खटीक
2 रामू पुत्र मालू जाति खटीक
निवासीगण सांगरवा तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर

अप्रार्थीगण

रेफरेन्स अन्तर्गत धारा 82 भू—राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय दिनांकः—25.10.2019

इस प्रकरण में संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि कृषि भूमि पुराना खसरा नम्बर 65/5 रकबा 12 बिस्वा, खसरा नम्बर 66 रकबा 7 बीघा, खसरा नम्बर 67 रकबा 4 बीघा 16 बिस्वा कुल किता 3 कुल रकबा 12 बीघा 8 बिस्वा जिनके नये खसरा नम्बर 133 रकबा 0.28 हैक्टर, खसरा नम्बर 136 रकबा 3.19 हैक्टर किता—2 कुल रकबा 3.47 हैक्टर वाकै ग्राम शोभ तहसील व जिला सीकर में अवस्थित है। उक्त कृषि भूमियां प्रथम सेटलमेन्ट के पूर्व से ही आवेदक माफी मंदिर मूर्ति नृसिंह जी बुटोली के नाम से खातेदारी कब्जे काश्त की चली आ रही थी। उपरोक्त वर्णित आराजियात हमेशा से ही मंदिर मूर्ति नृसिंह जी बुटोली के कब्जे काश्त में रही है उक्त कृषि भूमियों को आवेदक बंटाई पर काश्त करवाता रहा है। उक्त कृषि भूमियॉ बंटाई पर आवेदक द्वारा अप्रार्थीगण को काश्त हेतु बताई जाती रही है तथा अप्रार्थीगण फसल के हिसाब से बंटाई देते आये है। चूंकि उक्त कृषि भूमियों की खातेदारी कब्जा काश्त के आधार पर अप्रार्थीगण के नाम कर दी गई है, जो कि गलत एवं न्याय सिद्धान्तों के खिलाफ है। उपरोक्त आराजियात की खातेदारी मंदिर माफी मूर्ति मंदिर नृसिंह जी बुटोली के स्थान पर अप्रार्थीगण के नाम से खातेदारी गलत रूप से दर्ज हो गई। चूँकि मूर्ति मंदिर को हमेशा नाबालिग माना गया है इस कारण न तो मूर्ति मंदिर अपनी कृर्षि भूमियों का किसी प्रकार से हस्तान्तरण कर सकता है तथा न ही किसी व्यक्ति द्वारा ही हस्तान्तरित की जा सकती है। इस कारण से मंदिर माफी मूर्ति मंदिर नृसिंह जी के स्थान पर अप्रार्थीगण के नाम से दर्ज खातेदारी पुनः आवेदक मूर्ति मंदिर नृसिंह जी बुटोली के नाम से किया जाना न्याय संगत है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स आवेदन स्वीकार किया जाकर उपरोक्त वर्णित कृषि भूमियों की खातेदारी पुनः आवेदक मूर्ति मंदिर श्री नृसिंह जी, बुटोली के नाम से किये जाने के लिए माननीय रेवेन्यू बोर्ड अजमेर को रेफरेन्स किये जाने की कृपा करें।

रेफरेन्स आवेदन प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एवं अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी की और से वकील श्री पुरूषोतम शर्मा ने मेमों ऑफ अपियरेंस पेश किया। दौराने बहस अधिवक्ता अप्रार्थी अनुपस्थित रहे। रेफरेन्स आवेदन का

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

खसरा नम्बर 66 व 67 का अंकन भू–धारक के कॉलम में माफी मन्दिर श्री नरसिंहजी वाके मौजा बुटोली बअहतमाम पुजारी जेनारायनदास चेला हनमानदास कौम स्वामी साकिन बुटोली व काश्तकार के कॉलम में मांगया व केसा पि. किसना कौम खटीक सा.सांगरवा के नाम से दर्ज रिकॉर्ड अंकित हैं। जमाबन्दी सम्वत् 2016–2019 के मुताबिक खसरा नम्बर 66 व 67 का अंकन भू–धारक के कॉलम में माफी मन्दिर श्री नृसिंहजी वाके मौजा बुटोली बअहतमाम पुजारी जयनारायणदास चेला हनुमानदास कौम ब्राहमण साकिन बुटोली व काश्तकार के कॉलम में मांगया व केसा पि. किसना कौम खटीक सा.सांगरवा के नाम से दर्ज रिकॉर्ड अंकित हैं। भू–प्रबन्ध के दौरान साबिक खसरा नम्बर 65/5 जिसके नये खसरा नम्बर 133 व साबिक खसरा नम्बर 66 व 67 जिसके नये खसरा नम्बर 136 अंकित कर दिये गये। भू–प्रबन्ध विभाग की जमाबन्दी सम्वत् 2041–2060 के मुताबिक खसरा नम्बर 133 व 136 की खातेदारी कुरड़ा पि. घीसा हिस्सा 1/2 व रामू पि. मालू हिस्सा 1/2 खटीक सा.सांगरवा खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड अंकित कर दी गई। जमाबन्दी सम्वत् 2012–2015 के मुताबिक एवं जमाबन्दी सम्वत् 2016–2019 के मुताबिक उपरोक्त आराजियात की खातेदारी माफी मन्दिर श्री नृसिंहजी दर्ज रिकार्ड होने के उपरांत सेटलमेंट के दौरान भू–प्रबन्ध विभाग की जमाबन्दी सम्वत् 2041 से 2060 में उक्त मन्दिर की खातेदारी अप्रार्थी के नाम से दर्ज कर दी गई, जो बिना किसी आदेश के दर्ज कर दी गई है। मूर्ति मन्दिर की खातेदारी में दर्ज भूमियों पर किसी अन्य को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 46 के अनुसार खातेदारी अधिकार प्रोद्भुत नहीं होते है। ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र रेफरेन्स स्वीकार किये जाने योग्य है।

निष्कर्षतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र रेफरेन्स स्वीकार किया जाकर ग्राम सोब तहसील सीकर जिला सीकर की भूमि खसरा नम्बर 65/5, 66 व 67 जिसके नये खसरा नम्बर 133 व 136 की खातेदारी अन्य खातेदार के नाम दर्ज हुई है, जो निरस्त होने योग्य है। खातेदारी निरस्त किये जाने की अभिशंषा के साथ पत्रावली माननीय निबन्धक राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को भेजकर अनुरोध है कि प्रार्थना पत्र रेफरेन्स स्वीकार किया जाकर विवादित भूमि पुनः माफी मन्दिर श्री नृसिंहजी बुटोली के नाम दर्ज की जावे।

निर्णय आज दिनांक 25.10.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

25/10/19

(जयप्रकाश)
अति0 जिला कलक्टर, सीकर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official